

Nagar Palika Document

October 15

2013

अब आप भी अपने प्रतिष्ठान अथवा संस्था का प्रचार अथवा विपणन इस वेब पोर्टल के माध्यम से में कर सकते हैं। इस सेवा के लिए नगर पालिका में नियम एवं शुल्क निर्धारण किया है जो की निम्नलिखित है।

विपणन / प्रचार

नियम : वेब पोर्टल के होम पेज में दिखाई गयी पिक्चर गैलरी (जिसका आकार : ४८० पिक्सल चौड़ाई , २५० पिक्सल लम्बाई में है) में आप भी आपने प्रतिष्ठान अथवा संस्था का प्रचार कर सकते हैं। मान लीजिये अगर आपके प्रतिष्ठान ने किसी नए उत्पाद अथवा योजना का आरम्भ किया है। जिसका प्रचार आप नगरवासियों के बीच करना चाहते हैं। तो उस उत्पाद अथवा योजना से सम्बंधित फोटोशॉप द्वारा एडिट की गयी पिक्चर जिसका आकार ४८० X २५० एवं फॉर्मेट J P G में हो हमारे विपणन / प्रचार सेक्शन में अपलोड करें। अपलोड करने से पूर्व इस सेवा के लिए निर्धारित शुल्क नगर पालिका में जमा करा कर रसीद प्राप्त कर लें। रसीद क्रमांक पिक्चर अपलोड करते समय फॉर्म में भरें। आपके द्वारा अपलोड की गयी पिक्चर को निरीक्षक द्वारा मंजूरी मिलने के पश्चात वो नगर पालिका के मुख्या पृष्ठ पर निश्चित कालावधि के लिए प्रसारित कर दी जाएगी।

(नोट : अपलोड के गयी पिक्चर किसी अन्य व्यक्ति, समाज अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली न हो. आप चाहे तो किसी निश्चित समय या तिथि में भी प्रसारण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अगर आपके चाहे गए समय में पहले से ही किसी अन्य प्रतिष्ठान / संस्था का प्रसारण बुक किया जा चुका है तो आपका प्रसारण उसके बाद की उपलब्ध तिथि में किया जायेगा। प्रसारण का समय एवं अन्य विवरण आपको सूचित किया जायेगा। (किसी निश्चित समय में सिर्फ चार प्रतिष्ठानों / संस्थाओं का प्रसारण ही किया जा सकता है।)

शुल्क : १० दिन = ₹ ८००/- *

 २० दिन = ₹ १५००/- *

 ३० दिन = ₹ २००० /- *

! * : (एकल उपयोग के लिए, 480x250 की सिर्फ एक पिक्चर अपलोड की जा सकती है)